न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 17/2022

बउनवान

हेमन्त कुमार आयु 65 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति महाजन निवासी बामला हाल मुकाम जैन कॉलोनी बारां, जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

1. श्रीमति पुष्पा जैन आयु 80 वर्ष पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी बामला हाल निवासी 201 रोनक धाम अपार्टमेन्ट मकान नं0 59/60 बेकुण्ठ धाम इन्दोर मध्यप्रदेश
2. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां (रेस्पोडेंट्स)

अपील बनाराजगी इंतकाल नं0 2148 दिनांक 07.04.2022 ग्राम बामला तह0 बारां
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— 1. श्री बाबूलाल जैन एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री एन. के. सोमानी एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.02.2023

जिला कलक्टर बारां (राज०)

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बामला तह0 बारां में आराजी खसरा नंबर 1783/38 रकबा 0.53 है., 734 रकबा 0.13 कुल किता 2 रकबा 0.66 है. भूमि स्थित है जो इंतकाल नंबर 2148 दिनांक 07.04.2022 से पुष्पा जैन आयु पत्नी राजेन्द्र कुमार जैन जाति महाजन निवासी बामला हाल निवासी इन्दोर के नाम तहसीलदार बारां ने बिना किसी आदेश के इंतकाल खोलकर दर्ज की है। राजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल का दिनांक 24.05.2021 को इन्दोर में देहान्त हो गया। रेस्पो0 क्रम 1 उसकी पत्नी है उसके पक्ष में इन भूमियों का नामान्तकरण इंतकाल क्रमांक 2148 दिनांक 07.04.2022 से दर्ज हुआ है। इस भूमि के बाबत मुकदमा न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां में प्रकरण संख्या 100/2016 जैरकार है उसमें राजेन्द्र कुमार स्वंय आवेदक है एवं उसमें स्वंय रेस्पो0 क्रम 1 द्वारा दिनांक 21.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया था जिसमें रेस्पो0 क्रम 1 ने यह निवेदन किया कि मेरे पति का स्वर्गवास दिनांक 24.05.2021 को इन्दौर में हो गया है और मैं उनकी वारिस हूं उन्होने मेरे पक्ष में एक वसीयत की है इस वसीयत के आधार पर इस पर मेरा नाम दर्ज करवाया जावे। प्रकरण अभी न्यायालय में जैरकार है तारीख पेशी 15.07.2022 नियत है। पूर्व में भी रेस्पो0 क्रम 2 ने उपरोक्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 2141 दिनांक 21.03.2022 को गलत तथ्यों पर तस्दीक किया था उसकी अपील माननीय न्यायालय में पेश कर दी जो जैरकार है। वह इंतकाल वसीयत के आधार पर तस्दीक किया था तथा उस इंतकाल में जो भूमियां बताई गई है वे वसीयत दिनांक 16.04.2021 के अनुसार बताई गई उस वसीयत में खसरा नंबर 1783/38 रकबा 0.53 है. कहीं भी दर्ज नहीं है। इस प्रकार एक ही वसीयत के आधार पर दो इंतकाल अलग अलग इंतकाल नंबर 2141 दिनांक 21.03.2022 व इन्तकाल नंबर 2148 दिनांक 07.04.2022 बिना आधार के तस्दीक किये गये हैं। तहसीलदार बारां ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:53 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत दिनांक 16.04.2021 के आधार पर निर्णय पारित किया है किन्तु तहसीलदार के समक्ष पुष्पाबाई ने असल वसीयत ही पेश नहीं की केवल मात्र फोटो कॉपी पर इंतकाल तस्दीक कर दिया न ही पुष्पाबाई के बयान दर्ज किये। अतः इंतकाल नंबर 2148 दिनांक 07.04.2022 ग्राम बामला निरस्त फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण अन्तिम बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक राजेन्द्र कुमार की वसीयत दिनांक 16.04.2021 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो० क्रम 1 के नाम दर्ज किया गया है। इस वसीयत की जांच कार्यवाही में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। रेस्पो० क्रम 1 कभी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। रेस्पो० क्रम 1 के बयान भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं लिये गये। असल वसीयत भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने उक्त इंतकाल तस्दीक किया है इस कारण प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(1) भू राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 पारित किया गया है। अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाद सुनवाई आदेश पारित किया जाता है तथा इसकी अपील का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को प्राप्त है। पूर्व में अपीलांट ने घोषणा का वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में पेश कर एकपक्षीय डिक्री पारित करवाई जिसकी अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां का फैसला निरस्त किया। जिसकी पालना हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में पेश किया गया। खातेदार राजेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गई रेस्पोडेन्ट क्रम 1 उसकी पत्नि है। जिसके पक्ष में माननीय न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर म० प्र० द्वारा दिनांक 10.01.2022 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही जर्ये रजिस्टर्ड मुख्तयार आम द्वारा पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर, के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। इस आराजीयात बाबत रजिस्टर्ड मुख्तयार आम व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। वर्तमान में न्यायालय उप जिला कलक्टर, बारां में मुकदमे [illegible] की सूचना भी रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्धारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट की प्रथम आपत्ति कि यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 135 (2) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत Contested होने से इस न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर सिर्फ उनकी सुनवाई कर आदेश दिनांक 10.03.2022 पारित किया है। अतः प्रकरण की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होना साबित होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत वाद अपीलांट द्वारा पेश किया जिसमें उसे दिनांक 13.04.2015 को विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया। जिसे दिनांक 09.06.2015 को संशोधित कर अन्य खसरा नंबरान भी निर्णय में जोडे गये। इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में होने पर माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2017 से न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 09.06.2015 अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि "अपीलांट को जवाब दावा पेश करने का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें।" इसकी द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निरस्त की गई। वर्तमान में अपीलांट का विवादित भूमि से संबंधित घोषणा का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है तथा वहां से उनके विवादित भूमि में अधिकार तय होने हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक राजेन्द्र कुमार द्वारा पुष्पा जैन के हक में नोटेरी से तस्दीकशुदा वसीयतनामा के आधार पर विवादित संपत्ति रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें वसीयत के गवाहों के बयान भी लिये गये हैं लेकिन वसीयत ग्रहिता के बयान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिये गये तथा ना ही मूल वसीयत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई है। साथ ही विवादित आराजीयात से संबंधित घोषणा का वाद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 273/22 में पारित आदेश दिनांक 10.03.2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं पक्षकारान को साक्ष्य का अवसर प्रदान कर, मूल वसीयत न्यायालय में पेश होने पर उसका पूर्ण परीक्षण कर विधिनुसार निर्णय पारित करें। चूंकि वर्तमान में विवादित आराजीयात से संबंधित घोषणा का वाद भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में विचाराधीन है। अतः उसके निर्णय तक भूमि का विक्रय नहीं किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.14 15:02:53 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)